डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम.

2. विस्तार.

3. प्रारंभ

4. धारा 4-क का संशोधन

5. धारा 14 का संशोधन

6. अनुसूची एक का संशोधन.

7. अनुसूची दो का संशोधन.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.

विस्तार.

2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ.

3. यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

धारा 4-क का संशोधन.

4. (i) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), की धारा 4-क के शीर्षक में शब्द "विनिर्माण में" के पश्चात् शब्द "अथवा संवेष्ठन सामग्री के रूप में " जोड़ा जाएगा.

(ii) प्रमुख अधिनियम की धारा 4-क में शब्द "दस" को शब्द "पचास" से प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(iii) प्रमुख अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (1) में शब्द "विनिर्माण के लिए" के पश्चात् शब्द "अथवा संवेष्ठन सामग्री के रूप में" जोड़ा जाएगा.

धारा 14 का संशोधन

5. प्रमुख अधिनियम की धारा 14 में शब्द "शास्ति" को, जहां भी यह आता है, शब्द "शास्ति या ब्याज" से प्रतिस्थापित किया जायेगा.

अनुसूची एक का संशोधन.

6. अनुसूची एक में प्रविष्टि क्रमांक 2 के कालम (2) को निम्न प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जायेगा :

धान को छोड़कर सभी प्रकार के अनाज एवं दलहन.

अनुसूची दो का संशोधन.

7. अनुसूची दो में :

(i) प्रविष्टि क्रमांक 10 के कालम (3) में संख्या "3" की जगह "10" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(ii) प्रविष्टि क्रमांक 56 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि जोड़ी जाएगी

"57. धान 5"

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

शासन ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में बाक्साइट पर प्रवेश कर की दर 50 प्रतिशत तथा सिगरेट पर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा 4-क में प्रवेश कर की दर अधिकतम 10 प्रतिशत होने संबंधी प्रावधान में संशोधन आवश्यक है.

2. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा 14 में ''ब्याज'' शब्द का के कारण माननीय राजस्व मंडल द्वारा कई प्रकरणों में शासन के विरुद्ध निर्णय पारित किए गए हैं. अतएव, धारा 14 में ''ब्याज'' शब्द शामिल करना भी आवश्यक हो गया है.

3. चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं उपरोक्तानुसार संशोधन करना अतिआवश्यक था, अतएव महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था.

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन ने प्रदेश के व्यवसायिक संगठनों से चर्चा कर, प्रदेश में संवेष्ठन सामग्री (Packing material) की निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के बाहर से आयात किए गए संवेष्ठन सामग्री पर प्रवेश की दर 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. इस प्रयोजन के लिये, अधिनियम की धारा 4-क में संशोधन करना आवश्यक है.

5. शासन ने प्रदेश के बाहर से धान की आवक को हतोत्साहित करने व प्रदेश के कृषकों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत की प्राप्ति में मदद करने के लिए प्रदेश में धान के प्रवेश पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर अधिरोपित करने का निर्णय लिया है. इस प्रयोजन के लिए अधिनियम की अनुसूची एक एवं दो में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

6. अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 24 जुलाई, 2001.

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976

धारा 4-क का शीर्षक

4-क कतिपय ऐसे माल पर, जिसका उपभोग या उपयोग अन्य माल के विनिर्माण में किया गया हो, वर्धित दर पर प्रवेश कर के लिए उपबंध

धारा 4-क की उपधारा (1)

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों को तथा ऐसे माल या मालों का जिनका कि, ऐसे स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में उपयोग या उपभोग मुख्य रूप से अन्य मालों के विनिर्माण के लिए किया जाता हो, विनिर्दिष्ट कर सकेगी और यह निर्देश दे सकेगी कि उस तारीख से, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, वह प्रवेश कर, जो कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, ऐसे माल से संबंधित उसकी कराधेय मात्रा पर दस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से, जैसी कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभारित किया जाएगा भले ही धारा 4 में कोई प्रतिकूल बात अन्तर्विष्ठ क्यों न हो.

धारा 14

14 प्रवेश कर का निर्धारण संग्रहण आदि-इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का प्रशासन जहां तक कि वह व्यापारियों पर प्रवेश कर के उद्ग्रहण,निर्धारण तथा उनसे प्रवेश कर के संग्रहण से संबंधित है,वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारियों में निहित होगा और तद्नुसार वे प्राधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण,संग्रहण करने तथा उसके भुगतान को प्रवर्तित करने के लिए तत्समय सशक्त हो, उस प्रवेश कर तथा शास्ति का, जो किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण इस प्रकार करेंगे तथा उसके भुगतान को इस प्रकार प्रवर्तित कराएंगे मानो कि ऐसे व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन या वाणिज्यिक कर अधिनियम के उन उपबंधों के, जो कि धारा 13 के अधीन व्यापारियों को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर के संबंध में लागू किए गए हैं,अधीन देयकर या शास्ति इस अधिनियम के अधीन देयकर या शास्ति हैं और इस प्रयोजन के लिए ये उन समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे जो कि उस अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई है.

अनुसूची एक में प्रविष्ट क्रमांक 2 के कालम (2) की प्रविष्टि

कालम (2) : सभी प्रकार के अनाज और दलहन

अनुसूची दो की प्रविष्टि क्रमांक 10

अनुसूची-दो
(देखिए धारा 4, 9 एवं 12)

अनु. (1)	माल का वर्णन (2)	कर की दर (%) (3)
10	(क) तम्बाखू के सिगार, चरुट, सिगरेट और सिगरिलो	3
	(ख) अनिर्मित तम्बाखू और तम्बाखू रिफ्यूज, बीड़ी और गुड़ाखू को शामिल करते हुए अन्य तम्बाखू उत्पाद.	2.5
56	केक और पेस्ट्री, बिस्कुट, चाकलेट, टॉफी, लाजेंज, पिपरमेंट गोली, ब्रेड के अलावा बेकरी माल	1

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.